Section 140 : Transitional arrangements for input tax credit

(1) A registered person, other than a person opting to pay tax under section 10, shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, the amount of CENVAT credit [1]**[**of eligible duties**]** carried forward in the return relating to the period ending with the day immediately preceding the appointed day, furnished by him under the existing law [2]**[**within such time and**]** in such manner as may be prescribed:

Provided that the registered person shall not be allowed to take credit in the following circumstances, namely:—

(i) where the said amount of credit is not admissible as input tax credit under this Act; or

(ii) where he has not furnished all the returns required under the existing law for the period of six months immediately preceding the appointed date; or

(iii) where the said amount of credit relates to goods manufactured and cleared under such exemption notifications as are notified by the Government.

(2) A registered person, other than a person opting to pay tax under section 10, shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, credit of the unavailed CENVAT credit in respect of capital goods, not carried forward in a return, furnished under the existing law by him, for the period ending with the day immediately preceding the appointed day [3]**[**within such time and**]** in such manner as may be prescribed:

Provided that the registered person shall not be allowed to take credit unless the said credit was admissible as CENVAT credit under the existing law and is also admissible as input tax credit under this Act.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the expression —unavailed CENVAT credit‖ means the amount that remains after subtracting the amount of CENVAT credit already availed in respect of capital goods by the taxable person under the existing law from the aggregate amount of CENVAT credit to which the said person was entitled in respect of the said capital goods under the existing law;

(3) A registered person, who was not liable to be registered under the existing law, or who was engaged in the manufacture of exempted goods or provision of exempted services, or who was providing works contract service and was availing of the benefit of notification No. 26/2012—Service Tax, dated the 20th June, 2012 or a first stage dealer or a second stage dealer or a registered importer or a depot of a manufacturer, shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, credit of eligible duties in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or

---

1 Inserted vide The CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018) dt. 29/08/2018 w.e.f. 01/07/2017.

2 Inserted vide Finance Act, 2020 dt. 27/03/2020 w.e.f. 01/07/2017

3 Inserted vide Finance Act, 2020 dt. 27/03/2020 w.e.f. 01/07/2017

finished [4][goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as may be prescribed, subject to] goods held in stock on the appointed day subject to the following conditions, namely: —

(i) such inputs or goods are used or intended to be used for making taxable supplies under this Act;

(ii) the said registered person is eligible for input tax credit on such inputs under this Act;

(iii) the said registered person is in possession of invoice or other prescribed documents evidencing payment of duty under the existing law in respect of such inputs;

(iv) such invoices or other prescribed documents were issued not earlier than twelve months immediately preceding the appointed day; and

(v) the supplier of services is not eligible for any abatement under this Act:

Provided that where a registered person, other than a manufacturer or a supplier of services, is not in possession of an invoice or any other documents evidencing payment of duty in respect of inputs, then, such registered person shall, subject to such conditions, limitations and safeguards as may be prescribed, including that the said taxable person shall pass on the benefit of such credit by way of reduced prices to the recipient, be allowed to take credit at such rate and in such manner as may be prescribed.

(4) A registered person, who was engaged in the manufacture of taxable as well as exempted goods under the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) or provision of taxable as well as exempted services under Chapter V of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), but which are liable to tax under this Act, shall be entitled to take, in his electronic credit ledger,—

(a) the amount of CENVAT credit carried forward in a return furnished under the existing law by him accordance with the provisions of sub-section (1); and

(b) the amount of CENVAT credit of eligible duties in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the appointed day, relating to such exempted goods or services, in accordance with the provisions of sub-section (3).

(5) A registered person shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, credit of eligible duties and taxes in respect of inputs or input services received on or after the appointed day but the duty or tax in respect of which has been paid by the supplier under the [5][existing law, within such time and in such manner as may be prescribed], subject to the condition that the invoice or any other duty or tax paying document of the same was recorded in the books of accounts of such person within a period of thirty days from the appointed day:

Provided that the period of thirty days may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding thirty days:

4 Substituted vide Finance Act, 2020 dt. 27/03/2020 w.e.f. 01/07/2017 before it was read as "goods held in stock on the appointed day subject to".

5 Substituted vide Finance Act, 2020 dt. 27/03/2020 w.e.f. 01/07/2017 before it was read as "existing law".

Provided further that said registered person shall furnish a statement, in such manner as may be prescribed, in respect of credit that has been taken under this sub-section.

(6) A registered person, who was either paying tax at a fixed rate or paying a fixed amount in lieu of the tax payable under the existing law shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, credit of eligible duties in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished [6]**[**goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as may be prescribed, subject to**]** the following conditions, namely:—

(i) such inputs or goods are used or intended to be used for making taxable supplies under this Act;

(ii) the said registered person is not paying tax under section 10;

(iii) the said registered person is eligible for input tax credit on such inputs under this Act;

(iv) the said registered person is in possession of invoice or other prescribed documents evidencing payment of duty under the existing law in respect of inputs; and

(v) such invoices or other prescribed documents were issued not earlier than twelve months immediately preceding the appointed day.

(7) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the input tax credit on account of any services received prior to the appointed day by an Input Service Distributor shall be eligible for distribution as [7]**[**credit under this Act, within such time and in such manner as may be prescribed, even if**]** the invoices relating to such services are received on or after the appointed day.

(8) Where a registered person having centralised registration under the existing law has obtained a registration under this Act, such person shall be allowed to take, in his electronic credit ledger, credit of the amount of CENVAT credit carried forward in a return, furnished under the existing law by him, in respect of the period ending with the day immediately preceding the appointed day [8]**[**within such time and in such manner**]** as may be prescribed:

Provided that if the registered person furnishes his return for the period ending with the day immediately preceding the appointed day within three months of the appointed day, such credit shall be allowed subject to the condition that the said return is either an original return or a revised return where the credit has been reduced from that claimed earlier:

Provided further that the registered person shall not be allowed to take credit unless the said amount is admissible as input tax credit under this Act:

Provided also that such credit may be transferred to any of the registered persons having the same Permanent Account Number for which the centralised registration was obtained under the existing law.

6 Substituted vide Finance Act, 2020 dt. 27/03/2020 w.e.f. 01/07/2017 before it was read as "goods held in stock on the appointed day subject to".

7 Substituted vide Finance Act, 2020 dt. 27/03/2020 w.e.f. 01/07/2017 before it was read as "credit under this even if".

8 Substituted vide Finance Act, 2020 dt. 27/03/2020 w.e.f. 01/07/2017 before it was read as "in such manner"

(9) Where any CENVAT credit availed for the input services provided under the existing law has been reversed due to non-payment of the consideration within a period of three months, such [9]**[**credit can be reclaimed within such time and in such manner as may be prescribed, subject to**]** the condition that the registered person has made the payment of the consideration for that supply of services within a period of three months from the appointed day.

(10) The amount of credit under sub-sections (3), (4) and (6) shall be calculated in such manner as may be prescribed.

***Explanation* 1.**—For the purposes of [10][sub-sections (1), (3), (4)] and (6), the expression ―eligible duties‖ means––

(i) the additional duty of excise leviable under section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957);

(ii) the additional duty leviable under sub-section (1) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(iii) the additional duty leviable under sub-section (5) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(iv) [11][...........]

(v) the duty of excise specified in the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986);

(vi) the duty of excise specified in the Second Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986); and

(vii) the National Calamity Contingent Duty leviable under section 136 of the Finance Act, 2001 (14 of 2001),

in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the appointed day.

***Explanation* 2.**—For the purposes of [12][sub-section (1) and (5)], the expression ―eligible duties and taxes‖ means—

(i) the additional duty of excise leviable under section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957);

(ii) the additional duty leviable under sub-section (1) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

---

9 Substituted for the words "sub- sections (3), (4)" vide The CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018) dt. 29/08/2018 w.e.f. 01/07/2017.

10 Omitted "clause (iv)" vide The CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018) dt. 29/08/2018 w.e.f. 01/07/2017. Prior to omission, it read as under-
"the additional duty of excise leviable under section 3 of the Additional Duties of Excise (Textile and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978)".

11 Substituted for the words "sub-section (5)" vide The CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018) dt. 29/08/2018 w.e.f. 01/07/2017.

12 Substituted vide Finance Act, 2020 dt. 27/03/2020 w.e.f. 01/07/2017 before it was read as "credit can be reclaimed subject to".

(iii) the additional duty leviable under sub-section (5) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(iv) [13][..................];

(v) the duty of excise specified in the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986);

(vi) the duty of excise specified in the Second Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986);

(vii) the National Calamity Contingent Duty leviable under section 136 of the Finance Act, 2001 (14 of 2001); and

(viii) the service tax leviable under section 66B of the Finance Act, 1994 (32 of 1994),

in respect of inputs and input services received on or after the appointed day.

[14][***Explanation* 3.**—For removal of doubts, it is herby clarified that the expression ―eligible duties and taxes‖ excludes any cess which has not been specified in Explanation 1 or Explanation 2 and any cess which is collected as additional duty of customs under sub-section *(1)* of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975.]

---

13 Omitted "clause (iv)" vide The CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018) dt. 29/08/2018 w.e.f. 01/07/2017. Prior to omission, it read as under-
"the additional duty of excise leviable under section 3 of the Additional Duties of Excise (Textile and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978)".

14 Inserted "Explanation 3" vide The CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018) dt. 29/08/2018 w.e.f. 01/07/2017.

धारा 140 : इनपुट कर प्रत्यय के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं

(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प लेने वाले से भिन्न है, विद्यमान विधि के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत करने के लिए नियत दिन के तत्काल पूर्ववती दिन को समाप्त हाने वाली अवधि के संबंध में विवरणी में [1][पात्र शुल्कों का] अग्रनीत विद्यमान सेनवेट प्रत्यय अपने इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में लेने का, विहित की जाने वाली रीति में [2][ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में] जो विहित की जाए, हकदार होगा :

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्यय लेने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, अर्थात् :

(i) जहां प्रत्यय की उक्त रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं है; या

(ii) जहां उसने नियत दिन के तुरंत पूर्ववर्ती छह मास की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन अपेक्षित सभी विवरणियां नहीं दी हों; या

(iii) जहां प्रत्यय की उक्त रकम सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी छूट की अधिसूचनाओं के अधीन विनिर्मित और निकासी किए गए मालों से संबंधित है।

(2) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पूंजी माल के संबंध में अनुपभुक्त सेनवेट प्रत्यय की रकम अपने इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा, जो विवरणी में अग्रनीत नहीं की गई है, ओर जो उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन [3][ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए] नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए है :

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को तब तक प्रत्यय लेने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जब तक कि उक्त प्रत्यय विद्यमान विधि के अधीन सेनवेट प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं था और जब तक कि इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में भी अनुज्ञेय नहीं है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''अनुपभुक्त सेनवेट प्रत्यय'' पद से वह रकम अभिप्रेत है जो कि कराधेय व्यक्ति द्वारा विद्यमान विधि के अधीन पूंजी माल के संबंध में पहले से प्राप्त की गई सेनवेट प्रत्यय की रकम को उस सेनवेट प्रत्यय की रकम में से घटाने के पश्चात् शेष रहती है जिसका उक्त व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन उक्त पूंजी माल के संबंध में हकदार था।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था या जो छूट–प्राप्त मालों के विनिर्माण में लगा था या जो छूट–प्राप्त सेवाओं के उपबंधों या जो संकर्म संविदा सेवाओं को उपलब्ध करता रहा था और जो अधिसूचना संख्यांक 26/2012–सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 के फायदे प्राप्त कर रहा था या जो किसी

---

1 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

2 वित्त अधिनिय, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा ''विहित की जाने वाली रीति में'' के स्थान पर अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। [यद्यपि अधिसूचना क्रमांक 43/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 16.05.2020 द्वारा वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) के प्रावधान दिनांक 18.05.2020 से प्रभावशील किए गए।]

3 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा ''विहित की जाने वाली रीति में'' के स्थान पर अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। [यद्यपि अधिसूचना क्रमांक 43/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 16.05.2020 द्वारा वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) के प्रावधान दिनांक 18.05.2020 से प्रभावशील किए गए।]

रजिस्ट्रीकृत आयातकर्ता या किसी विनिर्माता के डिपो का कोई प्रथम प्रक्रम का व्यौहारी या कोई द्वितीय प्रक्रम का व्यौहारी था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए [4][नियत दिन पर, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, स्टाक में धारित] इनपुटों और अर्ध–निर्मित माल या तैयार मालों में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में पात्र–शुल्कों का प्रत्यय अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा, अर्थात् :

(i) ऐसे इनपुटों या मालों या उपयोग इस अधिनियम के अधीन कराधेय पूर्तिकर्ता के लिए किया जाता है या किया जाना आशयित है;

(ii) इस अधिनियम के अधीन उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने कब्जे में बीजक या ऐसे इनपुटों के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन शुल्क के संदाय के साक्ष्यस्वरूप अन्य विहित दस्तावेज रखता है;

(iv) ऐसे बीजक या विहित दस्तावेज नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती बारह मासों से पूर्वतर जारी नहीं किए गए थे;

(v) सेवाओं का पूर्तिकार इस अधिनियम के अधीन किसी उपशमन का पत्र नहीं है :

परन्तु जहां किसी विनिर्माता या सेवाओं के पूर्तिकार से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जो शुल्क के संदाय के संबंध में शुल्क के संदाय के साक्ष्यस्वरूप कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज अपने कब्जे में नहीं रखता है वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों, सीमाओं और सुरक्षा उपायों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, जिनके अंतर्गत यह शर्त भी है कि उक्त कराधेय व्यक्ति ऐसे प्रत्यय के लाभ के प्राप्तिकर्ता के लिए कीमत की कमी के द्वारा आगे अंतरित करेगा, ऐसा प्रत्यय ऐसी रीति में और ऐसी दर पर जो विहित की जाए, प्राप्त करने की अनुज्ञा दी जाएगी।

(4) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन छूट–प्राप्त मालों के साथ–साथ कराधेय मालों के विनिर्माण या वित्त अधिनियम, 1994 [5](1994 का 32) के अध्याय 5 के अधीन छूट–प्राप्त सेवाओं के साथ–साथ कराधेय सेवाओं के उपबंधों में लगा है किन्तु जो इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी हो, अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में निम्नलिखित की रकम को लेने का हकदार होगी,—

(क) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन दी गई किसी विवरणी में अग्रनीत सेनवेट प्रत्यय; और

(ख) उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे छूट–प्राप्त मालों और सेवाओं के संबंध में नियत दिन को स्टाक में धारित इनपुटों और अर्ध–निर्मित या तैयार मालों में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में पात्र शुल्क के सेनवेट प्रत्यय।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, नियत दिन को या उसके पश्चात् प्राप्त इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में पात्र शुल्क या कर का प्रत्यय अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने

---

4 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा "नियत दिन पर स्टाक में धारित" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। [यद्यपि अधिसूचना क्रमांक 43/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 16.05.2020 द्वारा वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) के प्रावधान दिनांक 18.05.2020 से प्रभावशील किए गए।]

5 राजपत्र में (1944 का 32) छपा हुआ है।

का पात्र होगा, किन्तु जिसके संबंध में शुल्क या कर [6][विद्यमान विधि के अधीन ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पूर्तिकार द्वारा] संदत्त किया गया था, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि नियत दिन से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति की लेखा बहियों में बीजक या कोई अन्य शुल्क या संदाय का दस्तावेज अभिलिखित था :

परन्तु तीस दिन की अवधि पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर आयुक्त द्वारा तीस दिन की अवधि के लिए विस्तार की जा सकेगी :

परन्तु यह और कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन लिए गए प्रत्यय के संबंध में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विवरणी देगा।

(6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो या तो किसी नियत दर पर कर का संदाय कर रहा था या विद्यमान विधि के अधीन संदेय कर के बदले में नियत रकम का संदाय कर रहा था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत दिन को [7][ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए] अपने स्टाक में अंतर्विष्ट अर्ध–निर्मित या तैयार मालों के इनपुट को स्टाक में धारित स्टाक और इनपुट के संबंध में पात्र शुल्क के प्रत्यय को अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा, अर्थात् :–

(i) ऐसे इनपुटों या माल का उपयोग इस अधिनियम के अधीन कराधेय पूर्ति करने के लिए किया जाता है या किया जाना आशयित है;

(ii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर का संदाय नहीं कर रहा है;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे इनपुटों पर इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है;

(iv) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास, इनपुटों के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन शुल्क के संदाय के साक्ष्य के रूप में बीजक या अन्य विहित दस्तावेज हो; और

(v) ऐसे बीजक और अन्य विहित दस्तावेज नियत दिन के तुरंत पूर्व बारह मास से पूर्व जारी नहीं किए गए थे।

(7) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा नियत दिन से पूर्व प्राप्त किन्हीं सेवाओं के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय, [8][इस अधिनियम के अधीन ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रत्यय के रूप में] वितरित किए जाने के लिए पात्र होगा, यदि ऐसी सेवाओं से संबंधित बीजक नियत तारीख को या उसके पश्चात् प्राप्त हुए हों।

---

6 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा ''विद्यमान विधि के अधीन पूर्तिकार द्वारा'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। [यद्यपि अधिसूचना क्रमांक 43/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 16.05.2020 द्वारा वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) के प्रावधान दिनांक 18.05.2020 से प्रभावशील किए गए।]

7 वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा ''नियत दिन पर स्टाक में धारितं'' प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। [यद्यपि अधिसूचना क्रमांक 43/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 16.05.2020 द्वारा वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) के प्रावधान दिनांक 18.05.2020 से प्रभावशील किए गए।]

8 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा ''इस अधिनियम के अधीन प्रत्यय के रूप में'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। [यद्यपि अधिसूचना क्रमांक 43/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 16.05.2020 द्वारा वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) के प्रावधान दिनांक 18.05.2020 से प्रभावशील किए गए।]

(8) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, जिसके पास विद्यमान विधि के अधीन केन्द्रीयकृत रजिस्ट्रीकरण है इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है, वहां ऐसे व्यक्ति को नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि के संबंध में उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन दी जाने वाली किसी विवरणी में सेनवेट प्रत्यय की रकम को, अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में प्रत्यय के रूप में [9][ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में] अग्रनीत करने के लिए, जो विहित की जाए, अनुज्ञात किया जाएगा :

परन्तु यदि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन से तीन मास की अवधि के भीतर नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपनी विवरणी दे देता है, तो ऐसा प्रत्यय इस शर्त के अधीन रहते हुए अनुज्ञात होगा कि उक्त विवरणी या तो मूल विवरणी है या जहां प्रत्यय की रकम को पूर्व में दावा की गई रकम से कम किया गया है, वहां वह पुनरीक्षित विवरणी है :

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्रत्यय लेने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक कि उक्त अधिनियम के अधीन ऐसा इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात नहीं है :

परन्तु यह भी कि ऐसा प्रत्यय ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों में से किसी को अंतरित किया जा सकेगा जिनके पास वही स्थायी खाता संख्या है जिसके लिए विद्यमान विधि के अधीन केन्द्रीयकृत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया गया था।

(9) जहां उपलब्ध कराई गई इनपुट सेवाओं के लिए प्राप्त किए गए किसी सेनवेट प्रत्यय को, विद्यमान विधि के अधीन प्रतिफल का तीन मास की अवधि के भीतर संदाय न किए जाने के कारण उलट दिया गया था, वहां [10][ऐसे प्रत्यय का, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, इस शर्त के अधीन] रहते हुए पुनः दावा किया जा सकता है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को नियत दिन के तीन मास की अवधि के भीतर सेवाओं की पूर्ति के लिए प्रतिफल का संदाय कर दिया है।

(10) उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (6) के अधीन प्रत्यय की रकम ऐसी रीति में संगणित की जाएगी, जो विहित की जाए।

स्पष्टीकरण 1.–[11][उपधारा (1), उपधारा (3), उपधारा (4)] और उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए नियत दिन को स्टाक में धारित इनपुटों और अर्ध–निर्मित या तैयार मालों के स्टाक में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में ''पात्र शुल्क'' पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(i) अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क;

(ii) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क;

(iii) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन

---

9 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा ''ऐसी रीति में'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। [यद्यपि अधिसूचना क्रमांक 43/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 16.05.2020 द्वारा वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) के प्रावधान दिनांक 18.05.2020 से प्रभावशील किए गए।]

10 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा ''ऐसे प्रत्यय का इस शर्त के अधीन'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। [यद्यपि अधिसूचना क्रमांक 43/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 16.05.2020 द्वारा वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) के प्रावधान दिनांक 18.05.2020 से प्रभावशील किए गए।]

11 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा ''उपधारा (3), उपधारा (4)'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी लागू नहीं हुआ है।

उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क;

(iv) [12]**[.........]**

(v) केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद–शुल्क;

(vi) केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद–शुल्क; और

(vii) वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क।

स्पष्टीकरण 2.—[13][उपधारा (1) और उपधारा (5)] के प्रयोजनों के लिए नियत दिन को या उसके पश्चात् प्राप्त इनपुट और इनपुट सेवाओं के संबंध में ''पात्र शुल्क और कर'' पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(i) अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क;

(ii) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क;

(iii) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क

(iv) [14]**[.........]**

(v) केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद–शुल्क;

(vi) केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद–शुल्क;

(vii) वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क; और

(viii) वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 66ख के अधीन उद्ग्रहणीय सेवा कर।

[15]**[स्पष्टीकरण 3.**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि, ''पात्र शुल्क और कर'' पद में ऐसा कोई उपकर, जिसे स्पष्टीकरण 1 में या स्पष्टीकरण 2 में विनिर्दिष्ट किया गया है और ऐसा कोई उपकर भी सम्मिलित नहीं है, जिसका सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975

---

12 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा खंड (iv) विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।
विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :
''**(iv)** अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क;''

13 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा ''उपधारा (5)'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं हुआ है।

14 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा खंड (iv) विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :
''**(iv)** अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क;''

15 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा स्पष्टीकरण 3 अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

(1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त सीमाशुल्क के रूप में संग्रहण किया गया है।]